

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/1203 /

जबलपुर, दिनांक 06/02/2024

दो-13-72/23

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार श्री अशोक कुमार कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2023 पर पात्रता अनुसार 247 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय रजिस्ट्रार महोदय
के आदेशानुसार

सही /-
(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्र. A/1204 /


जबलपुर, दिनांक 06/02/2024

दो-13-72/23

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. श्री अशोक कुमार कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
यूनिक कोड नं. 180013519

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


5.2.24
(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)